दिनांक : 27 फरवरी, 2014

लोकपाल की नियुक्ति का तरीका नहीं

अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को 46 वर्ष पहले काफी विचार–विमर्श के बाद लागू किया गया था। संस्थानों को बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। लोकपाल के चार न्यायिक सदस्यों और चार गैर न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति में विश्वसनीयता, योग्यताा और निष्पक्षता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बड़े खेद की बात है कि निवर्तमान यूपीए सरकार चुनाव से पहले नियुक्ति करने को लेकर काफी हड़बड़ी में है। इसके लिए वह प्रक्रिया को छोटा करने में लगी है ताकि नियुक्ति की जा सके। इस प्रक्रिया में विधि संबंधी प्रावधानों और उसके औचित्य का उल्लंघन किया गया है।

1. अधिनियम की धारा 4 (4) का उल्लंघन :

अधिनियम की धारा 4 (4) में व्यवस्था है कि ''चयन समिति को लोकपाल के चैयर पर्सन और सदस्यों का चयन करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनानी होगी।'' चयन समिति की सिर्फ एक बार 21 फरवरी 2014 को बैठक हुई। उस बैठक में मेरी समझ से जांच समिति के सदस्यों का चयन किया गया। चयन की प्रक्रिया चयन समिति द्वारा करने के बजाय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने 17 जनवरी 2014 को एक विज्ञापन निकाला यानी उस दिन चयन समति गठित नहीं की गई थी, जिसमें लोकपाल के न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। मैंने प्रधानमंत्री को 20 जनवरी और 30 जनवरी 2014 को इस सम्बन्ध में पत्र लिखे थे। हांलाकि मुझे प्रधानमंत्री के दो जवाब मिले लेकिन उनमें मेरी प्रमुख चिंताओं को दूर नहीं किया गया था। यहां तक कि अधिनियम के अंतर्गत कार्मिक प्रशिक्षण विभाग की कोई भूमिका नहीं है, उसने खुद की भूमिका के लिए नियम बनाए हैं। अधिनियम के अंतर्गत, वह भूमिका चयन समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की है। इस मामले में दोनों में से किसी की भी विज्ञापन जारी करने अथवा आवेदन आमंत्रित करने अथवा आवेदनकर्ताओं को शॉर्ट लिस्ट करने में कोई भूमिका नहीं है।

2. पद के लिए योग्य लोगों से आवेदन की उम्मीद करना :

प्रधानमंत्री को 20 जनवरी, 2014 को लिखे गए मेरे पत्र में मैंने लिखा था कि "सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत होने वाले अथवा वर्तमान न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्ति के लिए आवेदन करने से उस पद की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी जिस पर वह आसीन हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो अपने सीवी लेकर प्रतिष्ठान के साथ लॉबी करेंगें वह अपने आत्म सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ समझौता करेंगे। संभव है कि नौकरी की तलाश कर रहा न्यायाधीश लोकपाल के सदस्य के रुप में नियुक्त होने वाला सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति न हो। किसी भी सूरत में, आवेदन आमंत्रित किये जाएं अथवा नहीं, इस बारे में फैसला चयन समिति को करना चाहिए।" सरकार आगे बढ़ गई और उसने 7 फरवरी 2014 को आवेदन आमंत्रित कर दिए। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि बहुत से वर्तमान न्यायाधीशों ने आवेदन करने से इंकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि इससे उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और आत्म सम्मान के साथ समझौता करना पड़ेगा। लेकिन कुछ अन्य नें अपने मुख्य न्यायाधीशों के पास आवेदन भेज दिए ताकि वे आगे इन्हें विचार के लिए भेज सकें। विज्ञापन के पैरा 15 में वर्तमान न्यायाधीशों से उम्मीद की गई है कि वे अपने कार्य अनुभव और अन्य

उपलब्धियों सहित सीवी विस्तृत टिप्पणी के साथ भेजें। पैरा 16 में न्यायाधीशों से अपेक्षा की गई है कि वे इस बात को तर्कसंगत तरीके से समझाएं कि आवेदनकर्ता किस प्रकार उस पद की पात्रताओं को पूरा करेगा जिसके लिए उसने आवेदन किया है। इस तर्क को 200 शब्दों में लिखना है। यह प्रक्रिया किसने तय की? निश्चित तौर पर यह चयन समिति अथवा जांच समिति का नहीं बल्कि कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री का काम है। इस अधिनियम के अंतर्गत उसकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन इस विभाग ने अपने लिए भूमिका हड़पी है।

3. जांच समिति की काम करने की स्वाधीनता कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने कम कर दी:

जो नियम बनाए गए हैं वह अधिनियम की कानूनी शक्तियों से परे है। नियम 10 में कहा गया है कि कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा दी गई लोगों की सूची में से जांच समिति नामों का एक पैनल तैयार करे जिस पर चयन समिति को विचार करना होगा। आवेदनकर्ताओं में से शॉर्ट लिस्ट कार्मिक प्रशिक्षण विभाग तैयार करेगा। जांच समिति की काम करने की स्वाधीनता कम कर दी गई है। यह केवल कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार शॉर्ट लिस्ट से नामों का चयन करने के लिपिक विषयक काम में शामिल होगी।

मीडिया से हमें जानकारी मिली है कि जांच समिति के प्रमुख सदस्यों में से एक श्री फली एस नारीम न जांच समिति में होने के सम्मान को ठुकरा दिया है। जाहिर है कि कोई भी कद्दावर व्यक्ति रबर स्टैम्प नहीं बनना चाहेगा। सरकार जांच समिति को अपने समर्थकों से भर लेने का फैसला कर चुकी है। जांच समिति के लिए जिन नामों का सुझाव दिया गया है उनमें सरकारी वकीलों के नाम शामिल हैं। अतः कानूनी बिरादरी से केवल सरकारी वकीलों और मीडिया में से वास्तव में कांग्रेस के एक प्रवक्ता का नाम जांच समिति के लिए प्रस्तावित किया गया है। श्रीमती सुषमा स्वराज इस नाम पर सहमत नहीं थी। सरकार को यह अहसास होना चाहिए कि कोई भी संस्थान किसी राजनैतिक दल का नहीं होता। हम जितने निष्पक्ष और विश्वसनीय संस्थान बनाएंगे, वह व्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा। जांच समिति को प्रभावहीन बनाने अथवा लोकपाल को 'मित्रवत नामों' से भर देने से संस्थान के हितों को नहीं साधा जा सकता। यूपीए सीबीआई, सीएजी, पीएसी, जेपीसी और सीवीसी को काफी नुकसान पहुंचा चुकी है। मुझे उम्मीद है कि लोकपाल इस आक्रमण से बचेगा।

*****